प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रकरण संख्या — 04/2019 आर.टी.आई.
दायर दिनांक — 21.10.2019
निर्णय दिनांक — 30.10.2019

श्री ओ.पी.टेलर	बनाम	लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

प्रथम अपील अन्तर्गत राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—: निर्णय :—

श्री ओ.पी.टेलर, निवासी बानसेन, जिला चित्तौड़गढ़ ने सूचना के अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील दिनांक 29.08.2019 (दिनांक 17.10.2019 को प्राप्त) कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर प्रेषित की। अपीलार्थी अनुसार लोक सूचना अधिकारी, अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा वांछित सूचनाएं विनिर्दिष्ट अवधि उपरान्त भी उपलब्ध नहीं करांये जाने से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के पत्र कमांक 6130—31 दिनांक 22.10.2019 से श्री ओ.पी.टेलर द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील की प्रति लोक सूचना अधिकारी को भिजवाते हुए अपील पर बिन्दुवार उत्तर चाहा गया तथा उसकी प्रति अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु लिखां गया। इस पत्र की प्रति अपीलार्थी को भेज सूचित किया गया कि यदि अपील के जवाब पर कोई पक्ष/प्रति—उत्तर निम्नहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहे अथवा व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है तो उपस्थित हो सकते है।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर ने अपील का जबाव दिनांक 24.10.2019 को प्रस्तुत किया, जिसमें अवगत कराया कि प्रार्थी श्री ओ.पी.टेलर का आवेदन पत्र दिनांक 30.07.2019 (प्राप्त दिनांक 30.07.2019) अनुसार सूचनाएं चाही गई परन्तु वांछित सूचना का अस्पष्ट, अधुरी एवं पूर्ण विवरण नहीं होने से लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 4474 दिनांक 07.08.2019 से अपीलार्थी को लिखा गया और पुनः आवेदन पत्र लिखकर सूचना आवेदन पत्र को स्पष्ट एवं पूर्ण विवरण के साथ भिजवाने हेतु लिखा गया जिससे अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराई जा सके। अपीलार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न कर प्रथम अपील प्रस्तुत कर दी गई। अपीलार्थी के आवेदन पर निर्धारित समयावधि में सूचना जारी की गई और सूचना के अधिकार अधिनियम—2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है।

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा उक्त प्रथम अपील का उत्तर अपीलार्थी को भी भिजवाया गया हैं। इस कार्यालय के पत्रांक 6678 दिनांक

24.10.2019 से भी अपीलार्थी को अपना पक्ष/प्रति उत्तर प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

प्रश्नगत अपील में लोक सूचना अधिकारी के उत्तर पर अपीलार्थी ने न ही कोई लिखित प्रक्रिया प्रस्तुत की और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

अपील पर लोक सूचना अधिकारी के जवाब एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया। जिससे स्पष्ट होता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 30.07.2019, जो दिनांक 05.08.2019 को प्राप्त हुआ, से मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 21.11.2018 से निर्धारित 30 दिवस की अवधि में पत्राचार किया गया गया और अपीलार्थी से स्पष्ट एवं पूर्ण विवरण के साथ वांछित सूचना की जानकारी चाही गई परन्तु वांछित जानकारी अपीलार्थी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियमों की पालना नहीं की गई। लोक सूचना अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफल रहे है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए है। अपीलार्थी अपील के आधारों को एवं लोक सूचना अधिकारी के उत्तर का दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा खण्डन करने में असफल रहा है। अपीलार्थी द्वारा भी लोक सूचना अधिकारी के उत्तर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं किये जाने अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष न रखने की स्थिति से स्पष्ट है कि अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी एंव अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के उत्तर से सन्तुष्ट है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार एवं खारिज की जाती है। अतः उक्त अपील का निस्तारण करते हुए फैसल शुमार किया जावें एवं नम्बर से कम किया जावें।

(विकास सीताराम भाले)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

6707-6708
30-10-19

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01— लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

02— श्री ओ.पी. टेलर, निवासी बानसेन, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

संभागीय आयुक्त,
उदयपुर